



2026:AHC:124945

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18020 / 2026

संतोष पाठक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: ओम नारायण पांडेय

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री देवेश कुमार सिंह उपस्थित हैं।

2. वर्तमान जमानत आदेश आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 862 / 2024, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता, थाना-पुवायाँ, जिला- शाहजहाँपुर में मामले के विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किए जाने की कृपा की जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदक और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने सूचनाकर्ता को अपने संस्थान, अर्थात् बी.के. सिंह पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, बरेली मोड़, शाहजहाँपुर में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। उनके द्वारा सूचनाकर्ता को आशवासन दिया गया था कि उसे 15,000/- रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा और संस्थान में प्रत्येक छात्र के प्रवेश पर 5,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। हालांकि, उसका पूरा वेतन नहीं दिया गया। सूचनाकर्ता ने उल्लेख किया है कि उसे बाद में पता चला कि संस्थान द्वारा छात्रों को फर्जी और जाली अंक-पत्र जारी करके उनके साथ भी धोखाधड़ी की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त संस्थान के निदेशक बी.के. सिंह उर्फ बाल किशोर सिंह को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6048 / 2026 में दिनांक 12.03.2026 को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक उक्त संस्थान में एक लिपिक है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 23 महीने के अत्यधिक विलंब के बाद दर्ज कराई गई थी। आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 27.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक ने सूचनाकर्ता के समक्ष स्वयं को संस्थान के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रस्तुत किया था। विवेचना के दौरान यह भी पाया गया कि संस्थान में पढ़ रहे छात्रों को फर्जी और जाली अंक-पत्र जारी किए गए थे। विवेचना अधिकारी द्वारा उन छात्रों के बयान भी दर्ज किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कि वर्तमान आवेदक, संस्थान को चलाने में शामिल अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कूटरचना और धोखाधड़ी में संलिप्त था। अतः आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनाकर्ता और आवेदक के बीच का विवाद न दिए गए वेतन से संबंधित है। यह स्वीकृत तथ्य है कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्तों में से एक, बाल किशोर सिंह उर्फ बी.के. सिंह को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

6. दी गई परिस्थितियों में, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त मामले में संलिप्त आवेदक- संतोष पाठक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

(i) आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए निष्ठापूर्वक विचारण में सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित दंडात्मक कार्यवाही करने या दी गई जमानत को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

3 जून, 2026

एस.के.

(अनिल कुमार-X, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"